न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 4174-दो/2012 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 27-9-2011 पारित द्वारा तहसीलदार वृत्त डभौरा तहसील जबा जिला रीवा - प्रकरण क्रमांक 25 अ-12/2011-12

1- सुब्बन लाल 2- रबिचन्द्र पुत्रगण नन्दलाल श्रीवास्तव

निवासी ग्राम बीरपुर तहसील जवा जिला रीवा ----आवेदकगण

विरूद्ध

1- श्यामलाल पुत्र दुर्गा यादव

ग्राम बीरपुर तहसील जवा जिला रीवा

2- मध्य प्रदेश शासन ----अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री शारदा प्रसाद मिश्रा)

(अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 11 -8-2017 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार वृत्त जबा तहसील जबा जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 25 अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 27-9-2011 के विरूद्ध म0प्र0भू राज0 संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्रमांक 1 ने तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर उसके स्वामित्व की आराजी क्रमांक 161 रकबा 0.99 एकड मौजा बीरपुर के सीमांकन की मांग की। तहसीलदार

वृत्त डभौरा तहसील जवा ने प्रकरण क्रमांक 25 अ 12/10-11 पॅजीबद्व किया तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त डभौरा को सीमांकन के निर्देश जारी किये। राजस्व निरीक्षक वृत्त डभौरा ने हलका पटवारी के साथ स्थल पर जाकर सीमांकन किया एंव सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से तहसीलदार जबा जिला रीवा ने प्रकरण क्रमांक 25 अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 27-9-2011 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अनावेदक क्र-1 सूचना उपरांत अनुस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक क्रमांक-1 के आवेदन पर उसके स्वामित्व की आराजी क्रमांक 161 रकबा 0.99 एकड मौजा बीरपुर का सीमांकन राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी ने मेढ़िया कास्तकारों को सूचना देते हुये दिनांक 15-7-12 को किया है। किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर तहसीलदार वृत्त डभौरा तहसील जवा ने आदेश दिनांक 27-9-12 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है जिसके विरूद्व यह निगरानी है। आवेदक के अभिभाषक की आपत्ति है कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ग्राम रामवाग से भगवान चतुर्भुज मंदिर बीरपुर के लिये लगभग 4 कि0मी0 की प्रधान मंत्री सड़क बनाई गई है उससे अनावेदक क्र-1 की दक्षिण सीमा की रूढ़िगत रास्ते की भूमि 0.05 ए. समाहित हुई है जिसमें काली सड़क एंव उत्तरी रोड है जबकि दक्षिण रोड पटरी में आवेदक की भूमि को प्रभावित कर दिया गया है तथा गलत सीमांकन करके आवेदक को लाभ पहुंचाया गया है । विचार योग्य है यदि आवेदक राजस्व निरीक्षक निरीक्षक व्दारा किये गये सीमांकन से स्वयं् की भूमि को प्रभावित होना मानता है, तब अनावेदक क्र-1 के सीमांकन के विरूद्व निगरानी कराने के बजाय वह अपनी भूमि का सीमांकन अधीक्षक भू

अभिलेख / सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के विधिवत् हुये सीमांकन में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार जबा जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 25 अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 27-9-2011 यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर